प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2018**

विषय: **राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा परिसर की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-297/बजट/2017-18, दिनांक 12.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-367.32 लाख में से अवशेष धनराशि रू0-274.02 लाख (रूपये-दो करोड़ चौहत्तर लाख दो हजार) मात्र उद्यान परिसर की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीवाल के निर्माण डिपाजिट वर्क के रूप में कराये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अधोलिखित विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10 **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी धनराशि**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-112- सार्वजनिक उद्यान-06- राजकीय उद्यान जवाहरबाग, मथुरा का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण 24-वृहद निर्माण कार्य	367.32	93.30	274.02
योग	367.32	93.30	274.02

(धनराशि-रूपये दो करोड़ चौहत्तर लाख दो हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 लखनऊ की होगी।

.....2/-

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण् अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त कार्यालय-ज्ञाप के निर्देशानुसा ही कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक आदि में नहीं रखी जायेगी।

(7) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) विवरणानुसार धनराशि रू0-274.02 लाख के व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) से कराया जायेगा।

(10) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(12) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(13) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(14) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के संबंध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(15) धनराशि व्यय करने के पूर्व भण्डर क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियम/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

2- उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में प्राप्त प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

.....3/-

संख्या:-24/2018-879(1)/58-2018, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) जिलाधिकारी मथुरा।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ।
(4) उप निदेशक उद्यान, आगरा मण्डल आगरा।
(5) प्रबन्ध निदेशक कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
(6) जिला उद्यान अधिकारी मथुरा।
(7) वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।